विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बंधित एक समीक्षा सहित 35 कंडिकायें सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 343.19 करोड़ की राशि अंतर्निहित है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

विगत वर्ष में ₹ 62,604.08 करोड़ के विरूद्ध, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 70,427.28 करोड़ थीं । इस राशि का 53 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा कर राजस्व (₹ 30,581.70 करोड़) तथा कर–भिन्न राजस्व (₹ 7,000.22 करोड़) के रूप में वसूल किया गया । शेष 47 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 20,805.16 करोड़) तथा सहायक अनुदान (₹ 12,040.20 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ ।

(कंडिका 1.1.1)

वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व, मनोरंजन शुल्क, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा खनन प्राप्तियों की 378 इकाईयों के अभिलेखों की वर्ष 2012–13 के दौरान की गई नमूना जाँच में 8,98,782 प्रकरणों में ₹ 764.89 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला ।

(कंडिका 1.9.3)

II. वाणिज्यिक कर

''मध्य प्रदेश मूल्यवर्द्धित कर (वैट) अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत वापसी'' की लेखापरीक्षा से पता चला कि :

वर्ष 2011–12 की तुलना में 2012–13 के अन्त में वापसी प्रकरणों की बकाया राशि 74.07 प्रतिशत की वृद्धि को इंगित करती थी।

(कंडिका 2.8.6)

वापसी कार्यवाही को प्रारम्भ करने में विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप 20 प्रकरणों में ₹ 91.79 लाख की वापसी राशि का अनुचित संचयन हुआ ।

(कंडिका 2.8.7.3)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 21 प्रकरणों में वापसी की स्वीकृति की सीमा को पार कर ₹ 2.57 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की ।

(कंडिका 2.8.7.6)

27 कार्यालयों में 42 प्रकरणों में कर की गलत दर लागू किये जाने के कारण 37 व्यवसाईयों से ₹ 4.37 करोड़ के कर की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 2.9)

12 कार्यालयों में, 12 प्रकरणों में आगत कर छूट की अनियमित अनुमति के कारण 12 व्यवसाईयों से ₹ 3.70 करोड़ के कर की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 2.11.1 से 2.11.3)

18 कार्यालयों के 25 प्रकरणों में टर्नओवर के गलत निर्धारण के कारण 25 व्यवसाईयों से ₹ 1.10 करोड़ के ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 3.35 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 2.12)

27 कार्यालयों के 43 प्रकरणों में 37 व्यवसाईयों पर₹ 1.14 करोड़ के ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 2.67 करोड़ के प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.13)

III. राज्य उत्पाद शुल्क

"निर्यात, परिवहन एवं विनिर्माण के दौरान मदिरा की छीजन" की लेखापरीक्षा में पता चला कि:

कार्यालय प्रभारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन केलिए प्रकरणों को भेजने में विलम्ब के कारण ₹ 9.56 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गई ।

(कंडिका 3.7.9.2)

बोतल बंद देशी मदिरा की अतिरिक्त छीजन पर राशि ₹ 1.24 करोड. की शास्ति का अनारोपण हुआ/वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 3.7.10.1)

विदेशी मदिरा की अतिरिक्त छीजन पर राशि ₹ 1.03 करोड़ की शास्ति का अनारोपण/वसूली न होना ।

(कंडिका 3.7.10.2)

2699 प्रकरणों में आठ से 64 माह व्यतीत होने के बाद ₹ 3.76 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं की गई ।

(कंडिका 3.7.12)

विभाग द्वारा अनियमित रूप से निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्रों को जारी किये जाने तथा ऐसे निर्यात/परिवहन के परिणामस्वरूप जिनके विरूद्ध आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे, ₹ 4.58 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 3.9)

चार जिलों के छः विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाईयों में पर्यवेक्षण प्रभार ₹ 54.80 लाख की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 3.12)

IV. वाहनों पर कर

परिवहन आयुक्त कार्यालय तथा इकाई कार्यालयों के मध्य समन्वय की कमी तथा अपर्याप्त परिवीक्षण के कारण मध्य प्रदेश में द्विपक्षीय अनुबंधों पर संचालित अन्य राज्यों के लोकसेवा वाहन/मालवाहन कर के भुगतान से बचने की संभावना के साथ संचालित किये जा रहें हैं ।

(कंडिका 4.7.6)

राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों को प्राधिकार प्रदान करने के सम्बंध में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेशों (मई 2010) का अनुपालन नहीं करने के कारण राशि ₹ 5.87 लाख के समेकित शुल्क की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 4.7.8)

राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों पर संचालित किये जा रहे मालवाहनों पर राशि ₹ 68.78 लाख के कर तथा शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 4.7.9)

मध्य प्रदेश में द्विपक्षीय अनुबंधों पर संचालित किये जा रहे अन्य राज्यों के मालवाहनों पर ₹ 148.26 लाख के वाहन कर एवं शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 4.7.10)

27 कार्यालयों में 2487 वाहनों के सम्बंध में ₹ 12.83 करोड़ के कर एवं शास्ति की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 4.8.1)

17 कार्यालयों में व्यवसाईयों से ₹ 3.95 करोड़ के व्यापार शुल्क की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई ।

(कंडिका 4.9)

V. भू–राजस्व

एक नजूल में विलम्बित भुगतान पर ब्याज के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 26.41 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 5.8)

अक्टूबर 2011 और सितम्बर 2012 के मध्य सात तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत भू–राजस्व एवं उपकर की राशि₹ 85.28 लाख मुख्य शीर्ष "0029" भू–राजस्व के अंतर्गत कोषालय में जमा करने के बजाय पंचायत निधि में जमा की गई ।

(कंडिका 5.9)

VI. मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

180 प्रकरणों में विकास/निर्माण अनुबंधों पर ₹ 82.17 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस कम आरोपित की गयी ।

(कंडिका 6.8.3)

155 प्रकरणों में दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 5.48 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण किया गया ।

(कंडिका 6.8.4)

845 प्रकरणों में कॉलोनाइजरों/विकासकर्ताओं द्वारानिष्पादित किये गये बंधक विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप ₹ 59.05 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 6.8.5)

पांच प्रकरणों में पट्टा विलेखों की लिखतों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के कम आरोपण एवं शास्ति के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 15.17 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 6.9)

नजूल भूमि के पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन मेंविलम्ब के कारण ₹ 15.09 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानि हुई ।

(कंडिका 6.10)

340 प्रकरणों में उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक संग्राहक को बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए संदर्भित किये गये प्रकरणों के निराकरण न होने तथा बाजार मूल्य के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 4.33 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ/ वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 6.11)

VII. खनन प्राप्तियाँ

"मध्य प्रदेश में खनन प्राप्तियाँ" की समीक्षा में पता चला कि :

सात पट्टाधारकों द्वारा अनुमोदित खनन योजना से अधिक खनिजों का अनाधिकृत उत्खनन एवं निष्कासन के परिणामस्वरूप ₹ 8.01 करोड़ के खनिजों की कीमत वसूल नहीं की गई ।

(कंडिका 7.6.17)

अवैध खनन के कारण पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हुई ।

(कंडिका 7.6.18)

राज्यांश एवं अनिवार्य किराये के विलम्बित भुगतानों पर ₹ 1.43 करोड़ की संविदा राशि एवं ₹ 1.94 करोड़ के ब्याज की कम वसूली हुई/वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 7.6.19 एवं 7.6.20)

विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप₹ 6.88 करोड़ के राज्यांश एवं अनिवार्य किराये की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 7.6.21 एव 7.6.22)

₹ 28.97 करोड़ के ग्रामीण अवसंरचना एवं सडक विकास करतथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण एवं संग्रहण हुआ ।

(कंडिका 7.6.23 एवं 7.6.24)